न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 148/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2011/00004)

1. भूराराम पुत्र मलूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (फौत)

1/1 श्रीमती चंदोदेवी पत्नी 1/2 समेस्ता पुत्री 1/3 भजनलाल पुत्र 1/4 सुशीला पुत्री	भूराराम जाति चमार साकिन सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

2. रामकुमार पुत्र देदाराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (फौत)

2/1 सावित्री पत्नी 2/2 पवन प्रकाश पुत्र	रामकुमार जाति चमार साकिन सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भानीराम पुत्र रतूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. मूलाराम पुत्र रतूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. भैराराम पुत्र रतूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. पन्नाराम पुत्र रतूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. निराणाराम पुत्र रतूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. हंसराज पुत्र रजीराम पुत्र रतूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. श्रवणराम पुत्र हरजीराम पुत्र रतूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. विद्या पुत्री रतूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

रेस्पोडेंट्स

10. मनफूल पुत्र मलूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. ख्याली पुत्री मलूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12. भानीराम पुत्र मलूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
13. सोहन पुत्र मलूराम जाति चमार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. फातिमा पत्नी देदाराम जाति निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 4, 5, 6, 8
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12.04.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 28.02.2011 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने नायब तहसीलदार रावतसर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 100 दिनांक 11.05.2001 के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर मे अपील पेश कर उसे अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.02.2011 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तणकरण सं. 100 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रावतसर को रिमाण्ड कर प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं पर दौहराते हुए बहस कर कहा कि कृषि भूमि वाके रोही चक 8 के. एम.तहसील रावतसर के पत्थर सं. 212/407 के कि. नं. 25 तादादी 0.228 हैक्अर, पत्थर नं. 213/407 के कि. नं. 21 तादादी 0.228 हैक्टर, कि.नं. 22 तादादी 0.253 हैक्टर कुल 0.481 हैक्टर एवं पत्थर नं. 212/408 के कि. नं. 5, 6, 15, 16 तादादी 1.012 हैक्टर, कि. नं. 24 तादादी 0.202 हैक्टर, कि. नं. 25 तादादी 0.202 हैक्टर कुल 1.416 हैक्टर एवं उक्त तीनो पत्थर नं. की कुल तादादी 2.1500

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हैक्टर अपीलान्ट्स के पूर्वजो की सम्वत 2012 से पूर्व कब्जे काश्त मे चली आ रही कृषि भूमि होने अपीलान्ट्स हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से उक्त भूमि मे कानूनन अपना हक एवं हिस्सा रखते है, जो दर्ज रिकार्ड रहा है एवं उपनिवेशन विभाग द्वारा वरवक्त तैयार किये जाने पर्चा खतौनी उक्त भूमि दिनांक 04.01.67 की अपीलाट्स व रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वजो के नाम 1955 की भूमि दर्ज की है। उक्त कृषि भूमि सम्वत 2010 से 2015 तक में खाता सं. 7 पर गत खं. नं. 172 मे 40 बीधा भूमि दर्ज की गई थी, जो खाम बीधा होने के कारण नये खं.नं. 123 मे 24 बीधा 17 बिस्वा पुख्ता भूमि कायम की गई, उक्त भूमि में से 15 बीधा भूमि आबादी में अवाप्त हो जाने के कारण एवं चक प्लान में खाला व रास्ता में भूमि आ जाने के कारण 2.1500 हैक्टर भूमि शेष रही है। उक्त 8 बीधा 10 बिस्वा भूमि बाबत पारित आदेश नायब तहसीलदार रावतसर दिनांक 11.05.2011 तहसीलदार रावतसर द्वारा पारित रिमाण्ड प्रकरण सं. 10/97 में आदेश दिनांक 24.03.2001 की पालना मे दर्ज नामान्तरणकरण की अपील की गई है। जबकि इन्तकाल सं. 100 तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2001 अन्तर्गत आ.टी.ए. धारा 15 ए ए ए (3) (2क) एवं 144 सी.पी.सी पर दिये गये निर्णय के आधार पर दर्ज किया गया है। जिसके खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में अपील प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान नही है। नामान्तरणकरण सं. 100 जिस आदेश की पालना में दर्ज किया गया है, वह आदेश आज दिनाक तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 8 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि नामान्तरकरण सं. 100 मृतक व्यक्तियो के नाम भरा जाकर निर्णत किया गया है। तथा नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया। इस प्रकरण का घोषणात्मक वाद भी चल रहा था जिसका निर्णय हो चुका है। उन्होने सहायक कलक्टर एव उपखण्डाधिकारी रावतसर का निर्णय दिनाक 12.04.2026 एव पर्चा डिक्री दिनांक 12.04.2016 की फोटो प्रति पेश

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर कथन किया कि वाद का निर्णय हो जाने पर अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारीज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के द्वारा अपने निर्णय दिनाक 28.02.2011 के द्वारा नायब तहसीलदार रावतसर के द्वारा स्वीकृत चक 8 के एम तहसील रावतसर के नामान्तकरण 100 दिनांक 11.05.2001 को उभय पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है, जबकि नामान्तकरण सं. 100 दिनांक 11.05.2001 के बजाय दिनांक 16.05.2001 निर्णित किया गया है। उक्त नामान्तकरण तहसीलदार रावतसर के निर्णय दिनांक 24.03.2001 की पालना मे दर्ज किया गया है, भू अभिलेख नियमो के अन्तर्गत नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है यदि पक्षकार पीड़ित है तो उन्हे मूल आदेश की अपील करनी चाहिए जबकि उक्त प्रकरण में मूल आदेश की अपील नही की गई है, बल्कि आदेश दिनांक 24.03.2001 की पालना में स्वीकृत नामान्तकरण की अपील अधीनस्थ न्यायालय में संधारण योग्य नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 28.02.2011 को निरस्त किया जाता है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एल.नौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर